

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक - प.1(6)न्याय/2019

जयपुर, दिनांक 31.10.19

-:अधिसूचना:-

राज्य में 9 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-2, ब्यावर/संख्या-3, बहरोड़/ संख्या-2, तिजारा/ संख्या-2, राजगढ़/ रामगढ़/ भिवाड़ी/ संख्या-2, बाड़मेर/ संख्या-2, कोटपुतली/ दिगोद की स्थापना हेतु जारी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.10.19 के नोट की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में उल्लेखित शब्द "ब्यावर" को विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से


(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ पुलिस अधीक्षक, अजमेर/अलवर/ बाड़मेर/जयपुर/ कोटा ।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली ।


311029

(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव